**प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 44/2024)**

*तत्काल जारी*

**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण**

**6 जुलाई 2024 को, देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) के संसाधित अनुरोध 100 करोड़ (1 बिलियन) का आंकड़ा पार कर गए।**

**नई दिल्ली, 26 जुलाई 2024** – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) द्वारा जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 के अनुसार, 20 जनवरी 2011 को भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) की शुरुआत की गई थी। MNP एक दूरसंचार ग्राहक को देश में कहीं भी एक सेवा प्रदाता से दूसरे में स्विच करते समय अपना मोबाइल नंबर बनाए रखने की अनुमति देता है। वर्तमान में, भारत में एक महीने में लगभग 11 मिलियन पोर्टिंग अनुरोध संसाधित किए जाते हैं।

2. 6 जुलाई 2024 को, भारत में जनवरी 2011 से संसाधित पोर्टिंग अनुरोध 100 करोड़ (1 बिलियन) का आंकड़ा पार कर गए हैं।

3. किसी भी स्पष्टीकरण, जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

**ह/-**

**(अतुल कुमार चौधरी)**
**सचिव, (भादूप्रा)**